**शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल मामलों की संसदीय स्थायी समिति को**
**बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक, 2021 के संबंध में**
**हक़ : सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स की ओर से दिये गये सुझाव**

**5 फरवरी 2022**

लगभग दो साल पहले 4 जून 2020 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अधिकृत रूप से इसका ऐलान किया था कि सुश्री जया जेटली की अध्यक्षता में एक दस–सदस्यीय नीति आयोग कार्यबल का गठन किया जाएगा जो मातृत्व की उचित आयु, प्रसूता मृत्यु दर में कमी के लाभों, पोषण स्तर में सुधार और तत्संबंधित मामलों की जांच करेगा।[1] कार्यबल द्वारा दी गयी सिफारिशों के आधार पर 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया गया।[2]

विधेयक में प्रस्ताव रखा गया कि :

- लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए।
- इस विधेयक के प्रावधानों से किसी भी प्रकार के पर्सनल लॉ या किसी भी अन्य कानून में दिये गये भिन्न प्रावधानों को निरस्त माना जाएगा जिनमें संबंधित पक्षों के रीतिरिवाज या कार्यविधान भी शामिल हो सकते हैं। फलस्वरूप, इसमें सुझाव दिया गया है कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872; पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936; विशेष विवाह अधिनियम, 1954; हिंदू मैरिज ऐक्ट, 1955; हिंदू माइनॉरिटी ऐंड गार्जियनशिप ऐक्ट, 1956; हिंदू दत्तकता एवं भरणपोषण अधिनियम, 1956 तथा विदेश विवाह अधिनियम, 1969 में तदनुरूप बदलाव किए जाएं।
- किसी बाल विवाह को निरस्त करने की अवधि भी दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी जाएगी।
- इस विधेयक में जिन बदलावों का सुझाव दिया गया है उनमें से ज्यादातर बदलाव इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने के दो साल के बाद लागू होंगे।

सरकार के इस कदम की विपक्ष की ओर से तीखी आलोचना की गयी थी क्योंकि सरकार ने राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ उचित परामर्श के बिना इसे संसदीय कार्यवाही की पूरक सूची में शामिल करके बहुत जल्दबाजी में संसद में पेश कर दिया था। दिसंबर 2021 में प्रस्तावित विधेयक चर्चा के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

## इस विधेयक पर हक़ की राय

हक़ : सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स (हक़) इस विधेयक के *उद्देश्यों* की सराहना करता है मगर इसमें जो संशोधन सुझाये गये हैं उनको उचित नहीं मानता। हमारी मुख्य आपत्तियां इस प्रकार हैं :

### क. लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ा देना बाल विवाह को रोकने या उसमें कमी लाने का साधन नहीं है

बाल विवाह जैसे बेहद जटिल सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दे पर कानूनी संशोधन का रास्ता अपनाना घाव का इलाज करने की बजाए उस पर टेप चिपका देने जैसा तरीका है जिससे समस्या खत्म होने वाली नहीं है। जिस समाज में बाल विवाह को इतनी व्यापक स्वीकार्यता मिली हुई है, वहां सबसे पहले हमें इस समस्या को समझना और उसकी उन जड़ों पर प्रहार करना होगा जो इस प्रथा को खुराक दे रही हैं। अनुसंधानों से पता चलता है कि इस परंपरा की व्यापकता कानून की जानकारी के अभाव या पाबंदी के बारे में जागरूकता की कमी के कारण नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह काम करते हैं।[3] गरीबी और लड़कियों की कमतर हैसियत का एहसास भी बाल विवाह के लिए एक अहम कारण है। क्या यह सच नहीं है कि आज भी लड़कियों को परिवार पर एक आर्थिक बोझ माना जाता है और उनका जल्दी से जल्दी विवाह करने की कोशिश की जाती है ताकि मां–बाप को ज्यादा दहेज न देना पड़े। इस प्रथा को बढ़ावा देने वाले कारणों में एक कारण ये धारणा भी है कि अविवाहित लड़की के मुकाबले विवाहित लड़की अपराधों से सुरक्षित होती है। समाज में फैली पितृसत्तात्मक/मर्दशाही की सोच आज भी उन्हें लड़कों/पुरुषों के मुकाबले कमजोर और कमतर मानती है जिसके चलते उन्हें समान अवसरों से भी वंचित रखा जाता है।

ऐसे में ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि लड़कियों के लिए विवाह की उम्र बढ़ा देने से समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा। खासतौर से ग्रामीण इलाकों, हाशियाई समुदायों, गरीब घरों की ऐसी लड़कियों के लिए इससे क्या फायदा होगा जो तरह–तरह की असुरक्षाओं से जूझ रही हैं, जिनके पास शिक्षा व रोजगार के अवसर नहीं हैं और न ही फैसले लेने की

---

[1] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1629832

[2] https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2021/The%20Prohibition%20Of%20Child%20Marriage%20(Amendment)%20Bill,%202021.pdf

[3] https://www.girlsnotbrides.org/articles/sex-and-sensibility-breaking-through-indias-patriarchal-bias/

क्षमता है। जो कानून संबंधित समूह में इन अलग–अलग कारकों को नजरअंदाज करके लागू किया जाएगा वह बेदखली को बढ़ावा देने वाला और पक्षपातपूर्ण कानून होगा। विवाह की कानूनी उम्र बढ़ा देने से बाल विवाह को अपराध तो घोषित कर दिया जाएगा मगर इससे बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक लड़कियों को शिक्षा, स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं और नौकरियों के समान अवसर और सामाजिक सशक्तिकरण के अवसर नहीं दिये जाएंगे तब तक लड़कियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गरीबी के भयानक चक्र से नहीं निकल पाएंगी और उनका जल्द से जल्द विवाह करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी।

लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से समाज की सोच और व्यवहार में बदलाव नहीं आयेगा। लोग इसके बाद भी महिलाओं और लड़कियों को एक वस्तु और बच्चे पैदा करने वाली मशीन की तरह देखते रहेंगे। हाल ही में सुल्ली डील[4] और या बॉयज़ लॉकर रूम[5] जैसी घटनाओं से ये बात साफ हो जाती है कि इक्कीसवीं सदी में भी पितृसत्तात्मक सोच औरतों को 'कमतर हैसियत' में ही देखती है। उनको सेक्स के साधन के तौर पर देखने की सोच आज भी कायम है और ये उनके साथ होने वाली हिंसा व उत्पीड़न के साथ सीधे जुड़ी हुई है। इसीलिए, ये हैरानी की बात नहीं है कि एनएफएचएस–5 के आंकड़ों में 18–29 साल आयु वर्ग की 1.5% ;महिलाओं ने बताया कि वे 18 वर्ष से पहले ही यौन हिंसा की शिकार हो चुकी थीं। एनएफएचएस–4 के साथ तुलना करने पर पता चलता है कि पिछले 5 साल के दौरान इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं आया है।[6]

ऊंच–नीच आधारित हमारे समाज में लड़कियां पहले ही सबसे निचले पायदान पर खड़ी हैं मगर महामारी के दौरान स्कूलों के बंद होने, डिजिटल फासले और आर्थिक संकटों में इजाफे ने तो लड़कियों को और ज्यादा कमजोर व असुरक्षित स्थिति में ढकेल दिया है। बहुत सारे स्थानीय बाल अधिकार संगठनों ने बताया[7] है कि विभिन्न राज्यों में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह की घटनाओं में चिंताजनक इजाफा हुआ है। बाल सुरक्षा के लिए चलायी जा रही हेल्पलाइन्स पर आने वाली संकटग्रस्त बच्चों की कॉल्स में कई गुना इजाफा हो चुका है। जबरन शादी की आशंका से पीड़ित लड़कियां इन हेल्पलाइनों के माध्यम से सरकार से मदद मांग रही हैं।[8] चाइल्डलाइन से मिले आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से अक्टूबर 2020 के बीच बाल विवाह के प्रसंग में 18,324 कॉल आये थे। इसकी तुलना में पिछले साल इसी अवधि के दौरान बाल विवाह की आशंका से परेशान लड़कियों की 15,238 काल आयीं।[9] अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच दनियाना देवी चाइल्डलाइन पर दोंड–इंदापुर–बारामती पट्टी तथा पुणे, चाकन और राजगुरूनगर के आस–पास के इलाकों से बाल विवाह के 51 मामले दर्ज किये गये थे।[10] तेलंगाना में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच 1,355 बाल विवाहों को रोका गया जोकि फरवरी 2019 से मार्च 2020 की अवधि के 977 मामलों के मुकाबले 27% अधिक था।[11] 10 अक्टूबर 2020 के दि लॉन्सेट[12] के एक लेख में बताया गया था कि *"महामारी से पहले तक भारत – जहां दुनिया भर के एक तिहाई बाल विवाह होते हैं – शिक्षा व जागरूकता के माध्यम से बाल विवाह पर अंकुश लगाने के मामले में दुनिया में सबसे आगे था। मगर, महज कुछ घंटों के नोटिस पर लागू किये गये सख्त व लंबे लॉकडाउन ने करोड़ों दिहाड़ी व प्रवासी मजदूरों को बेरोजगारी और भीषण गरीबी में ढकेल दिया। इसी के चलते पिछली तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 24% की गिरावट आयी। लंबे समय तक स्कूल बंद रहे क्योंकि देश भर में रोजाना कोविड–19 संक्रमण के दसियों हजार मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में भी लाखों परिवारों को गरीबी से निकलने के लिए मजबूरन बाल विवाह का सहारा लेना पड़ा।"*

देश भर में स्कूल बंद कर दिये गये थे इसलिए बहुत सारे बच्चों, खास तौर से लड़कियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इससे उन पर बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण, मानव व्यापार/तस्करी और उनके साथ हिंसा की आशंका में भारी इजाफा हुआ है।[13] आरटीई फोरम द्वारा तैयार किए गए 'भारत में स्कूली आयु के बच्चों की शिक्षा पर कोविड–19 के लैंगिक

[4] https://theswaddle.com/sulli-deals-exposed-the-common-roots-of-misogyny-and-islamophobia/

[5] https://www.indiatoday.in/india/story/bois-locker-room-10-things-you-need-to-know-about-scandal-that-has-rocked-indian-social-media-1674687-2020-05-05

[6] http://rchiips.org/nfhs/factsheet_NFHS-5.shtml

[7] https://www.dw.com/en/covid-india-sees-a-surge-in-underage-marriages/a-57992104

[8] उपरोक्त

[9] https://theprint.in/india/how-2-up-girls-got-their-weddings-called-off-as-child-marriage-bids-see-rise-during-pandemic/572516/

[10] https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/more-child-marriages-rise-in-perversity-in-pandemic/articleshow/81656995.cms

[11] https://www.newindianexpress.com/states/telangana/2021/apr/10/covid-pandemicled-to-27-rise-in-child-marriages-2288264.html

[12] https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932112-7

[13] https://article-14.com/post/the-new-child-brides-of-india-s-covid-19-pandemic-60c969371e738

प्रभाव' शीर्षक नैशनल पॉलिसी ब्रीफ[14] के अनुसार भारत के पांच राज्यों में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि घर पर फोन होते हुए भी केवल 30% बच्चे ही जब चाहे तब फोन का इस्तेमाल कर सकते थे। इन्हीं आंकड़ों का जेंडर के आधार पर विश्लेषण करने पर पता चला कि इन तकनीकी उपकरणों तक लड़कियों की पहुंच कम थी। जहां एक तरफ 37% लड़के जब चाहे तब फोन का इस्तेमाल कर सकते थे वहीं दूसरी तरफ लड़कियों में केवल 26% ही थीं जो कभी भी फोन का इस्तेमाल कर सकती थीं। गौर करने की बात ये है कि कम उम्र में विवाह लड़कियों की पढ़ाई छूटने की वजह नहीं है बल्कि यह पढ़ाई छूटने के परिणामों में से एक है और महामारी ने इस समस्या को केवल उजागर भर कर दिया है। लड़कियों को कई वजहों से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है – कहीं स्कूल दूर या दुर्गम होता है, कहीं बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं होता, कहीं स्कूल में शौचालय नहीं होते, किसी स्कूल में अध्यापक नहीं आते[15] जिससे लड़कियों की शैक्षिक सफलता के स्तर में गिरावट आती है, कहीं उन्हें घरेलू कामों में हाथ बंटाना पड़ता है, किसी परिवार के पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता तो कहीं मां–बाप उन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहते।[16]

लिहाजा, विवाह की उम्र बढ़ा देने भर से खुद–ब–खुद लड़कियां उच्च शिक्षा में नहीं जाने लगेंगी। न ही वे बड़ी तादाद में नौकरियों पर जाने लगेंगी जब तक कि सरकार लड़कियों की रोजमर्रा जिंदगी में आने वाली संरचनागत और संस्थागत चुनौतियों को दूर करने के लिए कदम नहीं उठायेगी।

जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस में शीरीन जेजेभोए[17] लिखती हैं, *"एक तरीका तो ये है कि समता को बढ़ाने वाली चीजों में और ज्यादा निवेश किया जाए। ऐसी कोशिशें की जाएं जिनसे वंचित तबके की लड़कियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद मिले, उन्हें कॅरियर काउंसलिंग दी जाए, उनके कौशल और प्लेसमेंट को बढ़ावा दिया जाए। सार्वजनिक परिवहन सहित विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया जाए और मां–बाप की सोच में बदलाव लाया जाए क्योंकि वही हैं जो अंततः शादी से संबंधित फैसले लेते हैं। अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो विवाह की उम्र बिना कानून के अपने आप बढ़ जाएगी।"*

मगर, जब हक़ द्वारा केंद्रीय बजट 2022–23 का विश्लेषण किया गया[18] तो पता चला कि इस साल पिछले 11 सालों में बच्चों के मद में सबसे कम आर्थिक आवंटन किया गया है। कोविड–19 से स्कूली शिक्षा के रास्ते में पैदा हुई तमाम चुनौतियों के बावजूद इस साल बच्चों की शिक्षा के कुल बजट में कटौती कर दी गयी है। इसी तरह के रुझान बाल स्वास्थ्य एवं बाल विकास के मदों में भी पाये गये। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट आवंटन में भी 2021–22 के मुकाबले 7.56% की कमी की गयी है और फलस्वरूप उसे केवल 18,858.67 करोड़ का ही आवंटन मिला है। जेंडर आधारित असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से किये जा रहे बड़े–बड़े दावों को देखते हुए ये कटौती समझ से परे है।

## ख. कानून और किशोर–किशोरियों के चयन को अपराध मानने की बढ़ती प्रवृत्ति

'किशोरावस्था' की किसी सार्वभौमिक परिभाषा के अभाव में आंकड़ों की सुविधा के लिए और सदस्य देशों द्वारा तय की गयी परिभाषाओं के प्रति किसी भी तरह के पूर्वाग्रह के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ 10–19 वर्ष आयु वर्ग को 'किशोरावस्था' और 15–24 वर्ष आयु वर्ग को 'युवा' आबादी की श्रेणी में रखता है।

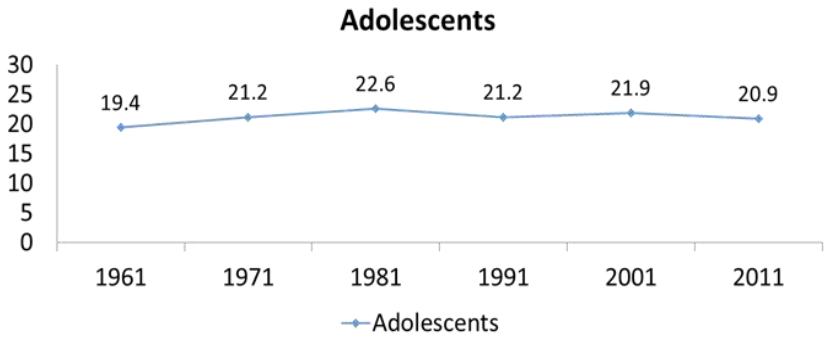


साल 1971 से किशोर आबादी का अनुपात लगभग 21% रहा है हालांकि 2001 से 2011 की जनगणना के बीच किशोर आबादी में सकल गिरावट आयी है।

[14] http://rteforumindia.org/wp-content/uploads/2021/03/National-Policy-Brief.pdf
[15] https://indiacsr.in/dropouts-in-school-education-a-national-challenge/
[16] https://indianexpress.com/article/opinion/columns/girls-school-drop-out-indian-education-nep-7474391/
[17] https://indianexpress.com/article/opinion/columns/raising-marriage-age-women-rights-7684264/
[18] https://www.haqcrc.org/wp-content/uploads/2022/02/haq-BfC-2022-23-Analysis.pdf

2011 में किशोर एवं युवा आबादी का प्रतिशत (अखिल भारतीय एवं राज्यवार रैंकिंग) इस प्रकार है :

| रैंक | राज्य | किशोर आबादी | कुल आबादी में प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| | भारत | 253.2 | 100 |
| 1 | उत्तर प्रदेश | 48.9 | 19.3 |
| 2 | बिहार | 23.3 | 9.2 |
| 3 | महाराष्ट्र | 21.3 | 8.4 |
| 4 | पश्चिम बंगाल | 18.2 | 7.2 |
| 5 | आंध्र प्रदेश | 16.2 | 6.4 |

*[1] देश में सबसे अधिक किशोर आबादी वाले शीर्षस्थ पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर आता है। देश की कुल किशोर आबादी में से 19.3% आबादी उत्तर प्रदेश में है। शेष चारों राज्यों – बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश – में से प्रत्येक की किशोर आबादी देश की कुल किशोर आबादी के 10% से भी कम है।*

देश की कुल किशोर आबादी 25.2 करोड़ है जिसमें से 72% किशोर आबादी (18.1 करोड़) गांवों में निवास करती है। सामाजिक विन्यास के हिसाब से देखें तो कानून का भार वहन करने वाले प्रमुख तबकों की किशोर आबादी इस प्रकार है :

- 4.4 करोड़ किशोर–किशोरियां अनुसूचित जातियों से हैं और ये संख्या कुल किशोर आबादी का 17% बैठती है।
- 2.3 करोड़ किशोर–किशोरियां अनुसूचित जनजातियों से हैं और यह संख्या कुल किशोर आबादी का 9% है।

जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में किशोरावस्था लिंग अनुपात लगातार अपेक्षा से कम रहा है। 2001 में 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 882 थी जो 2011 में अधिकतम 898 तक पहुंच गयी थी मगर यह भी बाल लिंग अनुपात 919 से कम है। इस चिंताजनक लिंग अनुपात के पीछे लिंग चयन आधारित गर्भपात, बालिका भ्रूण हत्या और शिशु भ्रूण हत्या आदि का हाथ होता है। ***प्रश्न यह है कि किशोरियां कहां गायब हो रही है?***

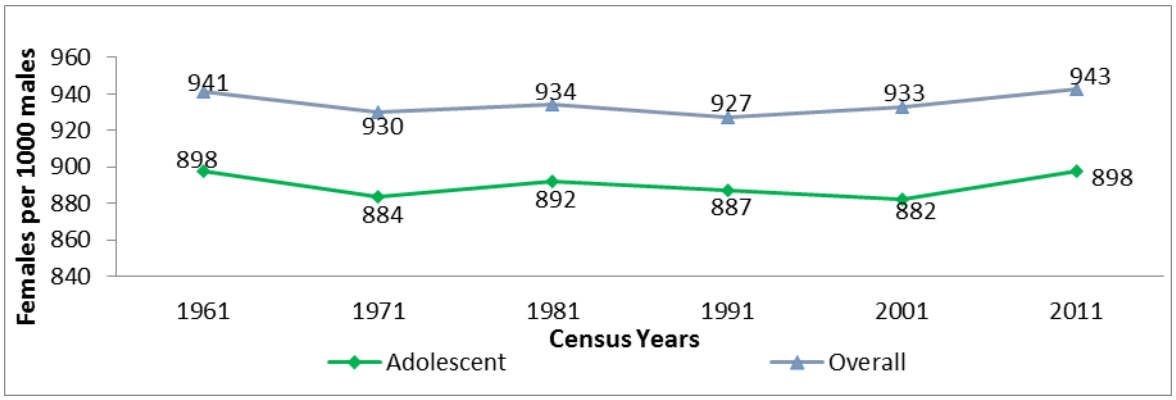


*प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या

| शीर्षस्थ पांच राज्य/संघ शासित प्रदेश | किशोरावस्था लिंग अनुपात |
|---|---|
| लक्षद्वीप | 1053 |
| अरुणाचल पदेश | 983 |
| ओडिशा | 981 |
| मेघालय | 979 |
| छत्तीसगढ़ | 972 |

| सबसे निचले पांच राज्य/संघ शासित प्रदेश | किशोरावस्था लिंग अनुपात |
|---|---|
| हरियाणा | 805 |
| पंजाब | 791 |
| दादरा और नगर हवेली | 775 |
| चंडीगढ़ | 756 |
| दमण और दीव | 584 |

सबसे स्वस्थ लिंग अनुपात वाले राज्यों से हरियाणा व पंजाब जैसे सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्यों की ओर होने वाली लड़कियों की बिक्री बहुत सारी किशोरियों के गायब होने का संभावित कारण हो सकती है।

परंतु, इस गुमशुदगी के पीछे मानव व्यापार ही एकमात्र कारण नहीं है। किशोरावस्था गर्भधारण से भी लड़कियों के जीवन पर खतरा पैदा होता है।

- युनिसेफ के मुताबिक 15 से 19 साल की लड़कियों में गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं मृत्यु का सबसे मुख्य कारण रही हैं।[19]
- डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, कम उम्र किशोरियों (10–14 वर्ष) के सामने तो गर्भावस्था के कारण मृत्यु और जटिलताओं का खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है।[20]
- ओआरएफ के मुताबिक, भारत में शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में किशोरावस्था गर्भधारण की समस्या लगभग दुगनी पायी गयी है। शहरी इलाकों में 5% जबकि ग्रामीण इलाकों में 9.2% किशोरियां गर्भधारण करती हैं।[21] संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 14 जनवरी 2020 की ओआरएफ की एक कमेंट्री में बताया गया था कि किशोरावस्था गर्भधारण की वजह से भारत को हर साल 7.7 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किये गये एक अनुमान में भी कहा गया था कि किशोरावस्था गर्भ धारण के कारण देश की जीडीपी में 12% तक का नुकसान हुआ है।

*दि लांसेट* नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित *'सुसाइड मॉर्टेलिटी इन इंडिया'* शीर्षक अध्ययन के मुताबिक, खुदकुशी करने वाली 56% महिलाएं और खुदकुशी करने वाले 40% पुरुष 15–29 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। 15–24 वर्ष आयु वर्ग में आत्महत्या को मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण पाया गया है। एनसीआरबी 2020 के आत्महत्या संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि **4.4% आत्महत्याएं 'प्रेम प्रसंगों' के कारण होती हैं।** बच्चों (18 वर्ष से कम) में 'पारिवारिक समस्याएं' (4006), 'प्रेम प्रसंग' (1337) और 'बीमारी' (1327) आत्महत्या के मुख्य कारण दर्ज किये गये हैं।

[19] https://www.unicef.org/india/what-we-do/maternal-health
[20] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
[21] https://www.orfonline.org/research/theres-a-need-to-end-teenage-pregnancies-in-india-its-harming-the-national-economy-60307/

यौन अपराधों/प्रेम संबंधों में कथित लिप्तता के आरोपी युवाओं द्वारा हिरासत में आत्महत्या

इंडिया टॉर्चर रिपोर्ट, **2020**

| आयु वर्ग | बलात्कार | छेड़खानी | पॉक्सो कानून | नाबालिग लड़कियों का अपहरण और अवैध रूप से कैद करके रखना | नाबालिग लड़की को लेकर भाग जाना | लड़की के साथ भाग जाना | नाबालिग लड़की की गुमशुदगी | किसी विवाहित महिला को अपराध की मंशा से फुसलाना या ले जाना या उसको कैद में रखना | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15–20 वर्ष** | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| **20–25 वर्ष** | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 9 |
| **25–30 वर्ष** | | | 1 | | | | | | 1 |
| उम्र नहीं बतायी गयी है | | | | | | 1 | | | 1 |
| कुल | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 13 |

**किशोर–किशोरियों द्वारा चयन को अपराध की श्रेणी में रखना**

एनएफएचएस–5 फैक्टशीट्स के अनुसार 18 साल से कम उम्र में ब्याह दी गयी 20–24 वर्ष आयु वाली महिलाओं का प्रतिशत –

- शहरी – 14.7%
- ग्रामीण – 27.0%
- **कुल – 23.3% (एनएफएचएस–4 के मुताबिक यह संख्या 26.8% थी)**

कम उम्र में विवाह मां–बाप के दबाव में या अपनी पसंद और माता–पिता की सहमति या उनकी सहमति के बिना भी हो सकता है। ऐसे में हमें स्थितियों की विविधता तथा हर मामले की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों को एक–एक करके देखना चाहिए। ऐसी तमाम तरह की स्थितियों से निपटने के लिए एक सार्वभौमिक 'आयु–केंद्रित' प्रतिक्रिया के लिए जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है उससे न केवल संबंधित किशोर–किशोरियों के अधिकारों की अवहेलना होगी बल्कि यह मौजूदा न्याय विधान के भी विरुद्ध होगा और इससे प्रभावित नौजवानों की जिंदगियों पर बहुत गहरे संकट पैदा होंगे।

जहां आज भी 23% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है वहां बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) के अनुपालन और क्रियान्वयन का नये सिरे से आकलन किया जाना चाहिए। पीसीएमए कानून बाल विवाह को रोकने के लिए पारित किया गया था मगर इसका बाल विवाह संबंधी मामलों में विरले ही कभी इस्तेमाल किया जाता है। आकड़ों से पता चलता है कि इस सख्त कानून का इस्तेमाल आमतौर पर लड़कियों को जबरन शादी से बचाने के लिए नहीं बल्कि ऐसी लड़कियों को सबक सिखाने के लिए ही किया जाता है जो अपने माता–पिता की इच्छाओं के खिलाफ शादी करना चाहती हैं।

*साल 2008–17 से बाद के केस लॉ का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण (हीबियस कॉरपस) याचिका, फौजदारी मुकदमों और शादी को निरस्त कराने जैसे प्रावधानों का इस्तेमाल ज्यादातर लोग अपनी उन लड़कियों के खिलाफ ही करते हैं जो मां–बाप की इच्छा के खिलाफ भाग गयी हैं या उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर शादी करती हैं, या वे जबरन शादी से बचने के लिए अथवा घरेलू उत्पीड़न या घर के कामों से छुटकारा पाने या मां–बाप को प्रेम प्रसंग का पता चल जाने के डर से कोई कदम उठाती हैं।*[22]

पीसीएमए के तहत होने वाली कार्रवाई और भाग जाने वाले प्रेमी युगलों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले आपराधिक कानूनी प्रावधानों (इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) की धारा 366–महिला को विवाह के लिए बाध्य करने के वास्ते उसका अपहरण और अगवा करना) में एक अंतर दिखायी देता है। आंकड़ों के मुताबिक, 2015 में विवाह के लिए नाबालिगों के अपहरण की कुल पीड़ितों में से 61% 16–18 वर्ष आयु वर्ग में थीं। 2016 में यह संख्या घटकर 57% रह गयी थी। 2017 के बाद एनसीआरबी ने अपहरण पीड़ितों का आयु और लिंग के अनुसार ब्यौरा देना बंद कर दिया था। इस पूरे विवरण से पता चलता है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा देने से धारा 366 आईपीसी के तहत होने वाले मुकदमों की संख्या में निश्चित रूप से इजाफा होगा और फलस्वरूप लड़कियों का अपने शरीर पर अधिकार और भी ज्यादा क्षीण हो जाएगा।

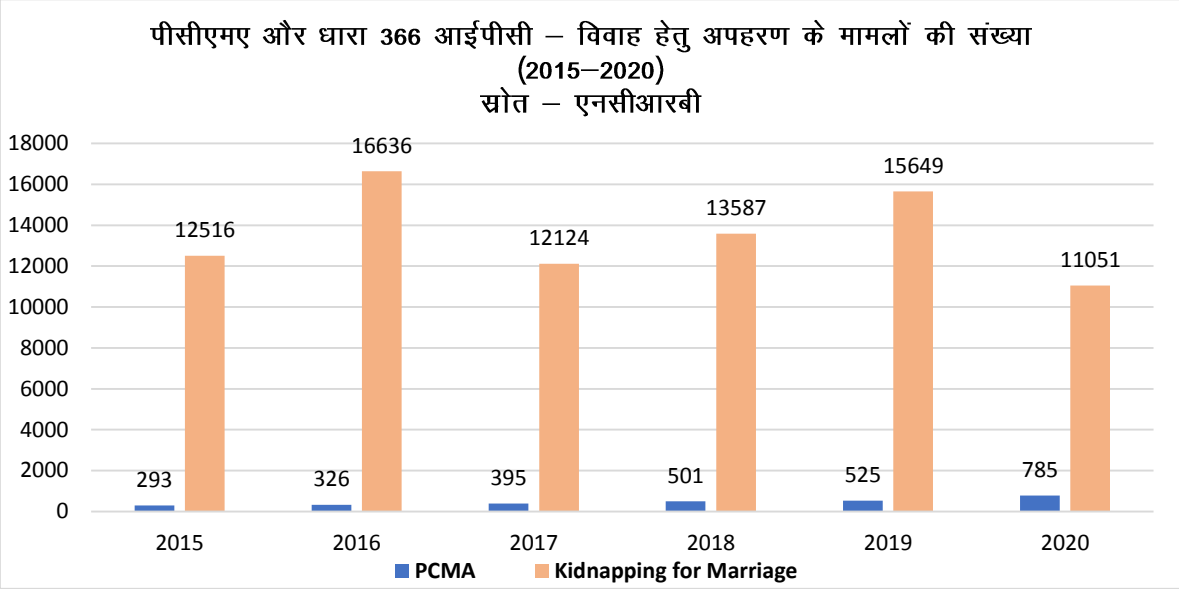


**बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कुछ रुझान जिन पर विचार करने की जरूरत है :**

**2020 में....**

- शादी के लिए नाबालिग लड़कियों के अपहरण के 11051 मामले दर्ज किये गये थे और यह संख्या 2019 में दर्ज की गयी संख्या 15,649 से 29% कम थी।
- बच्चों के अपहरण के सारे मामलों में लगभग हमेशा ही विवाह हेतु अपहरण के मामलों का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है (11,051 केस)। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह के मामले 785 थे।
- बाल विवाह विषेध अधिनियम, 2006 के तहत सबसे अधिक मामले कर्नाटक में दर्ज किये गये (785 में से 184)। इसके बाद असम (138) और पश्चिम बंगाल (98) का नंबर आता है।
- **पिछले साल के ऐसे मामले जिनकी जांच पूरी नहीं हुई, उनमें भी सबसे ज्यादा मामले बच्चों के अपहरण के ही थे (60,112 में से 44,400)।**
- आईपीसी के तहत 2020 में मुकदमे तक पहुंचे सबसे अधिक मामले अपहरण के ही थे (37,631 में से 18,350) जबकि सबसे अधिक एसएलएल मामले जो मुकदमे तक पहुंचे वे प्रॉक्सो कानून की धारा 4 व 6 अथवा (धारा 4 व 6) को धारा 376 आईपीसी के साथ पढ़े जाने की श्रेणी में थे (47,554 में से 26,508)।

[22] Mehra M, Maheshwari S, Child Marriage Prosecutions in India (Partners for Law in Development, 2021); See also, Mehra M, Nandy A, Why Girls Run Away to Marry: Adolescent Realities and Socio-Legal Responses in India (Partners for Law in Development, 2019).

- आईपीसी के तहत 2020 में मुकदमे तक भी नहीं पहुंचे लंबित मामले अपहरण के ही थे (2,03,285 में से 98,880) जबकि सबसे अधिक एसएलएल मामले जो मुकदमे तक नहीं पहुंचे वे पॉक्सो कानून की धारा 4 व 6 अथवा (धारा 4 व 6) को धारा 376 आईपीसी के साथ पढ़े जाने की श्रेणी में थे (1,49,838 में से 78,043)।

## नए कानून समाधान नहीं हैं – इससे अपराधीकरण में इजाफा होता है

बालकों की लैंगिक अपराधों से सुरक्षा कानून 2012 (पॉक्सो कानून) और आईपीसी, दोनों में किशोर–किशोरियों के बीच किसी भी तरह की यौन गतिविधि को अपराध का दर्जा दिया गया है चाहे दोनों पक्षों की सहमति रही हो या न रही हो।[23] बाल श्रम कानून (जिसमें 14 साल के अधिक उम्र के किशोर–किशोरियों को मजदूरी की छूट दी गयी है) और किशोर न्याय कानून (स्थानांतरण व्यवस्था – जिसके तहत 16–18 वर्ष के जघन्य अपराध के आरोपी किशोरों पर वयस्कों की भांति मुकदमा चलाने की छूट दी गयी है) के विपरीत, जिनमें जैविक और मनोवैज्ञानिक आकलनों के आधार पर किशोरों को वयस्कों की श्रेणी में रखने की छूट दी गयी है, पॉक्सो कानून में 0–18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों व किशोर–किशोरियों को एक ही श्रेणी में रखा गया है और अपने शरीर पर उनके अधिकार को पूरी तरह अप्रासंगिक माना गया है।

जब से पॉक्सो कानून बना है तभी से इसके तहत दर्जशुदा मामलों में इजाफा हो रहा है। इस बढ़ती दर की एक वजह ये हो सकती है कि जो बच्चे किशोरावस्था के अंतिम वर्षों (16–18 वर्ष) में आते हैं और अपनी यौनिकता को बूझने व आजमाने की कोशिश करते हैं और सहमति आधारित यौन क्रियाओं की ओर बढ़ने लगते हैं वे स्वाभाविक रूप से कानून के विरुद्ध व्यवहार की आशंका में पहुंच जाते हैं।

'*इंप्लीमेंटेशन आफ दी पॉक्सो ऐक्ट : गोल्स, गैप्स ऐंड चैलेंजेज – स्टडी ऑफ केसेज़ ऑफ स्पेशल कोर्ट्स इन दिल्ली ऐंड मुंबई* (2016–2015)'[24] के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष :

- 82.5% मामलों में आरोपी/अपराधी बच्चे का कोई परिचित व्यक्ति था। 'परिचित' आरोपी/अपराधियों में सबसे बड़ा अनुपात (28%) पड़ोसियों का था। इसके बाद प्रेम संबंधों (26%) और संबंधियों (25%) का स्थान आता था।
- 'परिचित' आरोपी/अपराधी द्वारा किये गये ज्यादातर यौन अपराध गंभीर किस्म के अपराध थे जिनमें लिंग प्रवेश या शारीरिक संपर्क जैसी क्रियाएं शामिल थीं।
- 'परिचित' आरोपी/अपराधियों में निर्दोष पाये गये सबसे ज्यादा आरोपी प्रेम संबंधों की श्रेणी वाले थे (39%)। जो आरोपी/अपराधी पड़ोसी थे उनमें से 25% और जो आरोपी/रिश्तेदार थे उनमें से 19% पर दोष साबित नहीं हो सका। इस तरह के मामलों में दोष सिद्ध न हो पाने का सबसे मुख्य कारण था पीड़ित और अन्य गवाहों का बयान से मुकर जाना। केवल 24% मामलों में आरोपी को सजा दी गयी।
- दिल्ली में प्रेम संबंधों के 94% मामलों (74 में से 72) और मुंबई में 75% (4 में से 3 मामलों) में आरोपी को रिहा कर दिया गया।
- 94% मामलों में लड़कियों की उम्र 16–18 वर्ष के बीच थी।
- दिल्ली में न्यायिक अधिकारियों के साक्षात्कारों से पता चलता है कि पॉक्सो कानून के तहत आने वाले 70–80% मामले प्रेम प्रसंग/प्रेमी के साथ भाग जाने/प्रेम विवाह के होते हैं और उनमें बच्चों की उम्र 15–18 वर्ष के बीच होती है।
- इस तरह के ज्यादातर मामलों में लड़की का परिवार ही केस दर्ज कराने पर जोर देता है।

असम, दिल्ली व हरियाणा, इन तीन राज्यों में पॉक्सो के तहत दर्ज किये गये 19,783 मामलों के एक ताजा अध्ययन[25] से पता चलता है कि **गंभीर प्रवेशन यौन हमला** (एपीएसए) (धारा 6) को आईपीसी की धारा 363/366/366ए के साथ

[23] "Before the implementation of this act, the legal age of consent to engage in sexual activity was restricted only to the girls, under the Indian Penal Code (IPC), 1860. Initially 10 years, it was raised to 12 in 1891, 14 in 1925, and 16 in 1940. It continued to be the same till the execution of the Criminal Law (Amendment) Act, 2013, followed by the nationwide outrage in the background of the fiendish gang rape case of Nirbhaya that took place on December 16, 2012, in New Delhi. Being a gender-neutral legislation, the POCSO Act, 2012, set the age of consent as 18 years for both boys and girls" Source - https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0253717620957507

[24] FACSE, HAQ: Centre for Child Rights (2017), Implementation of the POCSO Act: Goals, Gaps and Challenges – Study of Cases of Special Courts in Delhi and Mumbai (2012-15) available at - https://haqcrc.org/wp-content/uploads/2018/02/implementation-of-the-pocso-act-delhi-mumbai-study-final.pdf

[25] HAQ: Centre for Child Rights and CivicDataLab (2021), Unpacking Judicial Data to Track Implementation of the POCSO Act in Assam, Delhi & Haryana (2012 to April 2020), available at - https://www.haqcrc.org/new-at-haq/upacking-judicial-data-implementation-of-pocso-act-report

पढ़ने पर वाले मामलों की संख्या 37% थी जबकि प्रवेशन यौन हमलों (पीएसए) (धारा 4) के मामलों की संख्या 39% थी। इससे पता चलता है कि शादी के लिए अपहरण और बलात्कार के मामलों का भारी अनुवात दिखायी देता है।

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | एपीएसए के मामले | आईपीसी की धारा 363/366/366ए के साथ एपीएसए के मामले | एपीएसए के कुल मामलों में आईपीसी की धारा 363/366/366ए के साथ एपीएसए के मामलों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| असम | 882 | 202 | 23% |
| दिल्ली | 3529 | 1361 | 39% |
| हरियाणा | 1696 | 668 | 39% |
| कुल | 6108 | 2231 | 37% |

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | पीएसए के मामले | आईपीसी की धारा 363/366/366ए के साथ पीएसए के मामले | पीएसए के कुल मामलों में आईपीसी की धारा 363/366/366ए के साथ पीएसए के मामलों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| असम | 3068 | 899 | 29% |
| दिल्ली | 1309 | 615 | 47% |
| हरियाणा | 1329 | 688 | 52% |
| कुल | 5706 | 2202 | 39% |

**रजामंदी आधारित किशोरावस्था संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने से लड़की और लड़के दोनों को नुकसान पहुंचता है**

बहुत सारे प्रेम संबंधों में जब लड़की मां–बाप के पास लौटने से इनकार कर देती है या जब मां–बाप अपनी बेटी को अपने पास रखने से इनकार कर देते हैं तो उसे शेल्टर होम में भेज दिया जाता है और आरोपी को जेल में बंद कर दिया जाता है। उसे जमानत आसानी से नहीं मिलती। जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही जमानत दी गयी उनमें केवल 3% मामले प्रेम संबंध के थे। इन मामलों में जमानत देने का कारण ये बताया गया कि "वादी आरोपी से विवाह करने की इच्छा रखती है" या "वादी और अभियुक्त के बीच विवाह की संभावना" है। चार्जशीट दाखिल हो जाने की बाद जमानत की संभावना पीड़ित/लड़की के बयान होने तक तो निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हो जाती है।

इससे पता चलता है कि किशोरावस्था में रजामंदी आधारित संबंधों को अपराध घोषित कर देने से लड़की या लड़के दोनों पर किस तरह के असर पड़ते हैं। उनकी पढ़ाई छूट जाती है, नौकरी की संभावनाएं क्षीण रह जाती हैं और वे पहले से भी ज्यादा कमजोर स्थिति में पहुंच जाते हैं।

*राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर) ने अपनी सिफारिशों में 'आयु में निकटता' पर छूट को अपना समर्थन दिया था और इस तरह के मामलों में सहानुभूति पूर्वक विचार करने की सिफारिश की थी जिनमें (क) दो बच्चों के बीच सहमति के आधार पर गैर– प्रवेशन यौन क्रियाएं हुई हैं और उनकी उम्र 12 साल से अधिक है और दोनों की उम्र समान है या उनमें दो साल तक का फासला है तथा (ख) ऐसे रजामंदी आधारित प्रवेशन यौन संबंध जिनमें लड़का और लड़की 14 वर्ष से अधिक आयु के और समान आयु के हों या उनके बीच तीन साल तक का फासला हो। मगर, कानून में 2019 में किये गये ताजा संशोधन में भी इस सिफारिश पर विचार नहीं किया गया।*[26] विधि आयोग की रिपोर्ट और वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में भी इसी तरह के सुझाव दिये थे।

[26] Anchan V, Janardhana N, Kommu, JVS. POCSO act, 2012: Consensual sex as a matter of tug of war between developmental need and legal obligation for the adolescents in India. Indian J Psychol Med. 2021;43(2):158–162, available at - https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0253717620957507

*इंडिपेन्डेन्ट थॉट बनाम भारत सरकार*[27] के मुकदमें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 375 में दिये गये अपवाद 2 को खारिज करते हुए 15–18 वर्ष की नाबालिग पत्नी के साथ रजामंदी आधारित अथवा रजामंदी रहित किसी भी तरह की यौन क्रिया को बलात्कार और दंडनीय अपराध की श्रेणी में (फलस्वरूप पॉक्सो कानून के तहत) ला दिया था। इस तरह के कृत्यों पर न्यूनतम 10 साल और इससे भी अधिक सजा का प्रावधान किया गया है।

माता–पिता की सहमति के बिना होने वाली नाबालिग शादियों (भागकर शादी करने के मामलों) में माता–पिता की ओर से अभियोग चलाया जाएगा और लड़कियों को किसी तरह की सहायता या सशक्तीकरण के अवसर नहीं दिये जाएंगे।

एक तरह से यह कानून 'प्रेम' विवाहों को अपराध साबित करने पर केंद्रित दिखायी देता है जिससे लड़कियो/अल्पवयस्क माओं को सामाजिक व सांस्कृतिक तिरस्कार और प्रतिक्रियाओं को झेलना पड़ेगा और अगर शादी की उम्र 21 साल कर दी जाती है तो वे शादी के चलते मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाएंगी। लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ा देने से अविवाहित जोड़ों या सहमति के आधार पर अविवाहित यौन संबंधों में जाने वाले जोड़ों पर आईपीसी की धारा 366 के इस्तेमाल की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय[28] ने वैवाहिक संबंधों में या 'लिव–इन' संबंधों में लड़कियों के चयन के अधिकार को वैधता दी है परंतु प्रस्तावित विधेयक में इसी बात को नजरअंदाज किया गया है। इससे लड़कियों पर मोरल पुलिसिंग यानी नैतिकता के नाम पर होने वाली पहरेदारी बढ़ जाएगी और उनको प्रताड़ित करने के लिए भी वाद दायर किये जाएंगे जिससे उनकी प्राइवेसी, स्वायत्तता और चयन के अधिकारों पर असर पड़ेगा।

किशोरावस्था के दौरान सहमति आधारित यौन क्रियाओं को अपराध घोषित करने से प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रभावित होगी।

पॉक्सो कानून की धारा 19 में स्वास्थ्यकर्मियों को ये जिम्मेदारी दी गयी है कि यदि उनकों किसी नाबालिग लड़की द्वारा रजामंदी आधारित यौन संबंधों की जानकारी मिलती है तो वे ऐसे 'उत्पीड़न' की सूचना पुलिस को दें। इस तरह का प्रावधान लड़कियों को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सुरक्षित और गोपनीय पहुंच से वंचित कर देता है। इसके चलते लड़कियां असुरक्षित ढंग से गर्भपात या बहुत लंबे समय तक गर्भ को छुपाने की कोशिश करती हैं जिससे उनके लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारी लड़कियां इसलिए भी आखिर तक गर्भपात नहीं करातीं क्योंकि उन्हें डर होता है कि यदि वे स्वास्थ्यकर्मियों से मदद लेंगी तो उनका यौन व्यवहार अधिकारियों की नजर में आ जाएगा और उनके ब्वॉयफ्रेंड/पति को जेल में डाल दिया जाएगा।

विवाह–पूर्व यौन संबंधों को कलंक की तरह देखने से लड़कियों का सफर बहुत अलग हो जाता है। वे अपने प्रेम संबंध को गुप्त रखने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं और इससे सुरक्षित सेक्स संबंधी सूचनाओं या गर्भपात सेवाओं तक उनकी सीमित पहुंच भी समाप्त हो जाती है। ऐसे में या तो जबरन उनका विवाह कर दिया जाता है, उन्हें सबंध–विच्छेद या ब्रेकअप करना पड़ता है या मायके में होने वाली यातना से छुटकारा पाने के लिए वह भागकर शादी कर लेती हैं। ऐसी सूरत में भी जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देंगे और उनसे विवाह करने को राजी होंगे उन पर भी "इज्जत" के नाम पर लड़की के मां–बाप की तरफ से आपराधिक मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे।[29]

किशोर–किशोरियों की यौनिकता को मान्यता देते हुए सीआरसी सामान्य टिप्पणी संख्या 20 – किशोरावस्था के दौरान बच्चे के अधिकारों का क्रियान्वयन – में कहा गया है कि (1) नौजवानों को गर्भपात सहित सभी प्रकार की गोपनीय यौन स्वास्थ्य सूचनाएं व सेवाएं मुहैया करायी जाएं चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति या माता पिता की सहमति कुछ भी हो; (2) उन्हें यौन शिक्षा और प्रजनन स्वास्थ्य सूचनाएं व सेवाएं मुहैया करायी जाएं; (3) किशोरावस्था यौन गतिविधियों को अपराध न माना जाए; (4) किशोरावस्था में माता–पिता बन जाने वाले युवाओं को मदद दी जाए। फलस्वरूप जो भी कानून बनाया जाए वह बाल अधिकार संधि (सीआरसी) के तहत भारत सरकार की प्रतिबद्धता व जिम्मेदारियों के अनुकूल होना चाहिए।

[27] AIR 2017 SC 4904

[28] Lata Singh [(2006) 5 SCC 475; Writ Petition (crl.) 208 of 2004]; Shafin Jahan vs. Asokan K.M., (2018) 16 SCC 368; Shayara Khatun @ Shaira Khatun And Another v. State Of U.P. And 3 Others (WRIT - C No. - 19795 of 2021) Allahabad HC; Pushpa Devi v. St. of Punjab (CRWP-6314-2021) P&H HC; Mafi and another v State of Haryana and other (CRWP No.691 of 2021) P&H HC

[29] Partner for Law in Development, Child Marriage Prosecutions in India, Case Law Analysis of Actors, Motives and Outcomes 2008 -2017, Number 3 Adolescent Sexuality and Early Marriage Series; pg no.49

*सीआरसी सामान्य टिप्पणी संख्या 20 – कुछ प्रासंगिक बिंदु*

- *सीआरसी में 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्तियों के अधिकारों को तो मान्यता दी गयी है परंतु उन अधिकारों के क्रियान्वयन के मद में बच्चों के विकास और उनकी बढ़ती क्षमताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लिहाजा, किशोर–किशोरियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अपनाये जाने वाले तरीके कम उम्र बच्चों के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों से काफी भिन्न होते हैं।*
- *सीआरसी सामान्य टिप्पणी संख्या 20 में मानवाधिकार आधारित पद्धति के महत्व पर जोर दिया गया है जिसमें किशोर–किशोरियों की प्रतिष्ठा व स्वत्व की मान्यता व सम्मान; उनके सशक्तीकरण, नागरिकता व अपने जीवन के विषय में सक्रिय सहभागिता; अधिकतम स्वास्थ्य, कुशल क्षेम व विकास के प्रोत्साहन; भेदभाव के बिना मानवाधिकारों का प्रोत्साहन, सुरक्षा व साकार के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है।*
- *कमेटी इस बात पर जोर देती है कि जब बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हितों का निर्धारण हो तो उसकी उभरती क्षमताओं के अनुसार उसके मतों को ध्यान में रखा जाए और उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं पर भी ध्यान दिया जाए। सदस्य देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर किशोरियों के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी कानूनों, नीतियों, सेवाओं और कार्यक्रमों के विकास, क्रियान्यवयन व निगरानी में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। स्कूल और समुदाय से लेकर स्थानीय एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी यह सहभागिता सुनिश्चित की जाए।*
- *कमेटी इस बात पर जोर देती है कि सभी किशोर–किशोरियों को उनकी इच्छा के अनुसार गोपनीय ढंग से मेडिकल काउंसलिंग और सलाह पाने का अधिकार है। इसके लिए उन्हें माता–पिता या अभिभावकों की सहमति लेने या किसी खास उम्र की जरूरत नहीं है। यह बात चिकित्सकीय सहमति देने से अलग है और लिहाजा इसको किसी भी आयु सीमा के साथ बांधकर नहीं देखा जाना चाहिए।*
- *सदस्य देशों को सुरक्षा और उभरती क्षमताओं के बीच संतुलन की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए और यौन सहमति के लिए कानूनी उम्र तय करने के प्रसंग में एक स्वीकार्य न्यूनतम आयु निर्धारित करनी चाहिए।*
- *सदस्य देशों को समान उम्र के किशोर–किशोरियों के बीच बनने वाली रजामंदी आधारित और शोषण मुक्त यौन गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए।*
- *इस आशय की कानूनी पूर्वधारणा को लागू करने पर भी विचार किया जाना चाहिए कि किशोर–किशोरियों के पास इतनी समझ है कि वे निरोधक अथवा समय–संवेदी यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त व प्रयोग कर सकें।*
- *कमेटी का सुझाव है कि सदस्य देशों को सुरक्षा के अधिकार, सर्वश्रेष्ठ हितों के सिद्धांत और किशोर–किशोरियों की उभरती क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम कानूनी उम्र सीमा लागू करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आयु सीमा तय करते हुए इस बात को मान्यता दी जाए कि किशोर–किशोरियों को स्वास्थ्य सेवाएं व उपचार के विषय में फैसले लेने का अधिकार है, उन्हें दत्तकता संबंधी सहमति, नाम परिवर्तन या पारिवारिक न्यायालयों में आवेदन आदि के विषय में फैसले लेने का अधिकार है।*

सुरक्षित सेक्स संबंधी सूचनाओं, बदनामी के बिना गर्भ निरोध एवं गर्भपात, या सुरक्षित सेक्स के बारे में बात करने की लड़कियों की क्षमताओं पर बात न करने से विवाह–पूर्व गर्भ एक शर्मिंदगी का रूप ले लेता है जो इतना बड़ा कलंक बन जाता है कि कई बार जाति या धर्म का भेद तक मायने नहीं रखता जबकि सामान्यतः यह फासला अस्वीकार्य माना जाता है।[30] किशोरियों के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सूचनाओं व सेवाओं के हिस्से के तौर पर यौन गतिविधियों और सुरक्षित संभोग के विकल्पों, गर्भनिरोध और गर्भपात आदि के विषय में फैली वर्जना और पाबंदियों पर बात करना बहुत जरूरी है।

## हमारी सिफारिशें

1. लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 साल ही रहनी चाहिए और लड़को के विवाह की न्यूनतम उम्र भी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिए ताकि उसे सार्वभौमिक मानकों, संवैधानिक कानून और मौजूदा न्याय विधान के साथ समन्वय में लाया जा सके।

2. लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, रोजगार अवसरों और कौशल विकास आदि में निवेश एक अनिवार्य आवश्यकता है। सभी बच्चों व किशोर–किशोरियों को स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमें आयु अनुकूल समग्र यौनिकता शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

3. पीसीएमए तथा ऐसे अन्य कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा की जाए जो महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाये गये हैं।

[30] उपरोक्त; पृष्ठ संख्या 47

4. समान आयु वाले किशोर–किशोरियों के बीच रजामंदी आधारित और बिना जोर जबर्दस्ती वाले यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाए।

5. 15 से 18 वर्ष की आयु वाली पत्नी के साथ रजामंदी आधारित और जबर्दस्ती मुक्त वैवाहिक संभोग को अपराध की श्रेणी से हटाया जाए।

6. यदि लड़का और लड़की, दोनों मिलकर भागने और साथ रहने का फैसला लेते हैं तो उन्हें प्रताड़ित करने के लिए धारा 366 आईपीसी के तहत किसी महिला को शादी के लिए बाध्य करने हेतु उसके अपहरण या फुसलावे के आरोप का सहारा न लिया जाए।

7. नाबालिग उम्र में की गयी शादी को भी वैध माना जाए लेकिन यदि दोनों में से कोई एक पक्ष भी नाबालिग है और विवाह को निरस्त करना चाहे तो ऐसे विवाह को निरस्त करने की छूट दी जाए।

8. पॉक्सो कानून की धारा 19 के तहत ये प्रावधान किया जाए कि यदि किशोर–किशोरियां गर्भपात अथवा अन्य यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आते हैं तो स्वास्थ्य कर्मी इस विषय में पेशेवर गोपनीयता के नियम का सख्ती से पालन करें। इसी तरह का प्रावधान काउंसलरों के लिए भी तय किया जाए।

**हम स्थायी समिति की माननीय अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि वह हमें समिति के सदस्यों के सामने ऑनलाइन मौखिक प्रस्तुति की अनुमति दें।**

अधिक जानकारियों के लिए संपर्क करें :

सैने पॉल/उर्मी चुडगर

हक़ : सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स

बी 1/2 ग्राउंड फ्लोर मालवीय नगर
saine@haqcrc.org, urmi@haqcrc.org